

[Secretary]

(2) The Indian Telegraph (Amendment) Bill, 1972.

COMMITTEE ON ABSENCE OF
MEMBERS FROM THE SIT-
TINGS OF THE HOUSE

SEVENTH REPORT

SHRI S. C. SAMANTA (TAMLUK) : I beg to present the Seventh Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

13 hrs.

ANTIQUITIES AND ART TREASURES BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER : The House will take up further consideration of the following motion moved by Prof. S. Nurul Hasan on the 23rd August, 1972, namely :—

“That the Bill to regulate the export trade in antiquities and art treasures, to provide for the prevention of smuggling of, and fraudulent dealings in, antiquities, to provide for the compulsory acquisition of antiquities and art treasures for preservation in public places and to provide for certain other matters connected therewith or incidental or ancillary thereto, be taken into consideration”.

Shri Rudra Pratap Singh may now continue his speech.

श्री रुद्र प्रताप सिंह (बाराबंकी) : मान्यवर, मैं पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विधेयक, 1972 पर अपने विचार प्रकट कर रहा था।

श्रीमन्,

समय की शिला पर यशुर चित्र कितने, किसी ने बनाये, किसी ने मिटाये।

भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत पर कुछ आक्रमणकारियों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर, जो हमारे पुरावशेष और

बहुमूल्य कलाकृति के रूप में थे, उन्हें तप्त किया है तथा उन्हें लूटा है। साथ ही साथ श्रीमन्, माननीय सदन इस बात से भी सहमत है कि कुछ विदेशी शासकों ने भी देश की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको लूटा है और उनकी चोरी की है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भी देश में कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, कुछ ऐसे पूंजीपति लोग हैं जो आज भी उसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं। वे अब भी या तो सार्वजनिक स्थानों से हमारी बहुमूल्य वस्तुओं और कलाकृतियों की चोरी कर लेते हैं अथवा उनको सस्ते मूल्यों पर खरीदते हैं और उसके पश्चात् वे विदेशियों के हाथ में उनकी बिक्री करते हैं या उन्हें उपहार के रूप में देते हैं। यह स्थिति बहुत गम्भीर है। इसके साथ-साथ कभी-कभी देश के बड़े पूंजीपति उन तमाम बहुमूल्य कलाकृतियों को, पुरावशेषों को अपने प्रासादों में अपनी अट्टालिकाओं में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए उपयोग करते हैं और उसके द्वारा अपनी वासना की तृप्ति और पिपासा की पूर्ति करते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि देश के पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृतियाँ जो निजी क्षेत्र में हैं उनको सरकारी क्षेत्र में ले आया जाये। कला देशी का मन्दिर सभी के लिए खुला होना चाहिए केवल पूंजीपतियों के लिए ही नहीं। कला बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होनी चाहिए, स्वान्तःसुखाय नहीं होनी चाहिए। देश के पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृतियाँ हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, वे किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं रह सकती हैं। मैं अपने दल की नेता, राष्ट्र की प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी को और अपने शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति की धरोहर है उसकी किस प्रकार से रक्षा की जाये, किस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति का औरब और गरिमा स्थापित रह सके इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक बहुत ही गम्भीरतापूर्वक चिन्तन, मनन और अध्ययन करने के पश्चात् इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। हम चाहते हैं कि इस देश की संस्कृति की रक्षा हो। इस माननीय सदन के माननीय सदस्य, चाहे इस पक्ष में बैठने वाले हों अथवा उक्त पक्ष में बैठने